A7

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक
मैनुअल नं.03 / अपील / 2024 (GCMS No. 2024 / 4)	16.01.2024	15.07.2025

बजरंगलाल आ0 रोडूलाल जाति बलाई,
निवासी ग्राम जाखमुण्ड, तहसील तालेडा, जिला बून्दी

– अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती मनभर पत्नी रमेश जाति मेघवाल,
   निवासी गोरधनपुरा बडगांव कोटा
   हाल मेघवालों का मोहल्ला, माताजी के मंदिर के पास काप्रेन,
   तहसील के0पाटन, जिला बून्दी
2. गोबरी बाई पुत्री कंवरलाल पत्नी चेनसुख जाति बलाई
   निवासी ग्राम पीताम्पुरा, तहसील तालेडा
3. धन्नी बाई पत्नी स्व. गोबरीलाल उर्फ रामभरोस जाति बलाई
   निवासी ग्राम सीन्ता, तहसील तालेडा
4. टीना पुत्री गोबरीलाल उर्फ रामभरोस पत्नी अंकुर जाति बलाई
   निवासी ग्राम बरूंधन, तहसील तालेडा
5. सोनिया पुत्री गोबरीलाल उर्फ रामभरोस पत्नी प्रधान जाति बलाई
   निवासी ग्राम ओंकारपुरा, तहसील बून्दी
6. दीलबर पुत्री गोबरीलाल उर्फ रामभरोस पत्नी प्रदीप जाति बलाई
   निवासी के. पाटन, तहसील के.पाटन
7. प्रतापीबाई पत्नी छोट्या जाति बलाई निवासी ग्राम जाखमूण्ड,
8. रामरतन आ. छोट्या जाति बलाई निवासी ग्राम जाखमूण्ड,
9. बाबूलाल आ. छोट्या जाति बलाई निवासी ग्राम जाखमूण्ड
10. गिरीशकान्त यादव आ. चतूरूलाल जाति जाटव निवासी मकान सं. 864 महावीर नगर–2, तहसील लाडपुरा जिला कोटा
11. जगदीश महावर आ. शिवराज जाति कोली निवासी 113, सूर्य आदित्य नगर, थेगडा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तालेडा

– रेस्पोडेन्टस

जिला कलक्टर, बून्दी

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से श्री रामदत्त शर्मा, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 1 लगायत 9 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
रेस्पो.सं. 10 व 11 की ओर से श्री लीलाधर सिंह, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 12 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील तहसीलदार, तालेडा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 591 दिनांक 08.07.2005 ग्राम जाखमूण्ड से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम,1956 इस न्यायालय में पेश की गयी है। अपीलाधीन नामान्तरकरण सहखातेदार रघुवीर आ. रोडू के फोत हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 3/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No. 2024/4 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो. वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पो.सं.10, 11 द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थित न्यायालय आकर दिनांक 12.05.2025 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार कर अपील मियाद बाहर हो से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

तत्पश्चात् बहस उभय पक्षकारान् सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि ख.सं. 66 रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा एवं ख.सं. 437 रकबा 06 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम जाखमूण्ड तहसील तालेडा जिला बून्दी में विस्थित है। सहखातेदार गोबरीलाल उर्फ रामभरोस आ. कंवरलाल का देहान्त हो चुका है, रेस्पो. सं. 3 लगायत 6 उसके वारिसान है। सहखातेदार नन्दू बेवा कंवरलाल का देहान्त हो गया है। सहखातेदार छोट्या का देहान्त हो गया है, रेस्पो. सं. 7 लगायत 9 उसके वारिसान है। उक्त भूमि के सहखातेदार रोडिया जी थे, जिनका उक्त भूमि पर सहखातेदार के रूप में 1/4 हिस्सा निहित था। रोडिया जी के एक पुत्र बजरंगलाल स्वयं अपीलांट मौजूद है। रोडिया जी की पत्नी छोटीबाई का भी देहान्त हो गया है। अपीलान्ट का सगा छोटा भाई रघुवीर अपीलांट के पास ही रहता था तथा अपीलांट ही उसकी देखभाल करता था, रघुवीर का दिनांक 03.06.2000 को

जिला कलेक्टर; बून्दी

देहान्त हो गया है। रघुवीर के जीवनकाल में ही अपीलान्ट बजरंगलाल उक्त भूमि में निहित रघुवीर के हिस्से की भूमि पर काबिज होकर निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है। रघुवीर की पत्नी मनभर रघुवीर के जीवनकाल में ही उसको त्यागकर रमेश आ. भैरूलाल जाति मेघवाल निवासी गोरधनपुरा बडगांव कोटा हाल निवास कापरेन तहसील के.पाटन के नाते चली गयी। नाता विवाह के बाद रेस्पो.सं. 1 मनभर अपने पति रमेश के साथ अपीलान्ट के भाई रघुवीर के जीवनकाल से ही उसकी पत्नी के रूप में उसके साथ निवास करती चली आ रही है। नातायत पति रमेश के नुत्फे से रेस्पो.सं.1 मनभर के पहले एक पुत्र सूरज पैदा हुआ। रेस्पो.सं.1 के पुत्र सूरज की दिनांक 31.03.2016 को मृत्यु हो चुकी है, जिसकी सामान्य चिकित्सालय बून्दी द्वारा जारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मनभर के पुत्र स्व. सूरज के पिता का नाम रमेश अंकित है। मनभर के नातायत पति रमेश के नुत्फे से बाद में उनके संतानें लक्ष्मीबाई, ज्योति रानी व दीपक पैदा हुये। अपीलान्ट के भाई रघुवीर के देहान्त के बाद जो फोती नामान्तरकरण संख्या 591 खोला गया उसमें अपीलान्ट के स्वर्गीय भाई रघुवीर के वारिसान के रूप में गलत रूप में रेस्पो.सं.1 मनभर का नाम रघुवीर की बेवा के रूप में अंकित कर दिया गया है जबकि मनभर रघुवीर के जीवनकाल में ही रमेश आ. भैरूलाल के नाते चली गयी थी और वर्तमान में भी उसकी पत्नी के रूप में निवास कर रही है। इसी नामान्तरकरण में रघुवीर के पुत्र के रूप में अंकित सूरज का भी देहान्त हो गया है, जबकि सूरज मनभर के पति रमेश का पुत्र है। जिसकी पुष्टि सूरज की पोस्टमार्ट रिपोर्ट में अंकित पिता के नाम रमेशचन्द से हो रही है।अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रघुवीर का देहान्त होने पर उसके स्वाभाविक उत्तराधिकारियों की कोई जांच नहीं की गई और न ही उनको सुनवाई का अवसर ही दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जांच व बिना सुनवाई किये अपीलाधीन नामान्तरकरण रेस्पो.सं.1 मनभर व सूरज के पक्ष में तस्दीक कर दिया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के सर्वथा विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रिंसीपल ऑफ हिन्दू लॉ की धारा 43(2) के अनुसार पति के जीवनकाल में नाता विवाह करने पर महिला को पति की सम्पत्ति में कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होता है। चूंकि मनभर अपने पति रघुवीर के जीवनकाल में अन्य व्यक्ति रमेश के सम्पर्क में आ गई थी तथा उसने रमेश से नाता विवाह कर लिया था, इस कारण रेस्पो.सं.1 का रघुवीर की सम्पत्ति में किसी प्रकार का कानूनी अधिकार नहीं रहा। इस आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी नहीं थी। नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी हल्का पटवारी द्वारा देने पर दिनांक 02.01.2024 को होने पर अपीलांट ने उक्त नामान्तरकरण की नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, दिनांक 03.01.2024 को नकल प्राप्त कर

जिला कलेक्टर, बून्दी

अपील तैयार करवाई जाकर अन्दर अवधि पेश की गई। फिर भी अवधि कन्डोन करने हेतु भारतीय अवधि अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने तथा अपीलांट के नाम अपील विषयक भूमि का नामान्तरकरण खोलने बाबत आदेश पारित करने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं.10 व 11 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांट अपीलाधीन नामान्तरकरण में सह–खातेदार है जिसको अपने एवं रेस्पो.सं.1 के पक्ष में तस्दीक हुये नामांतरकरण सं.591 की जानकारी प्रारम्भ से ही है। अपीलांट द्वारा जानकारी होने पर 30 दिवस में अपील प्रस्तुत की जानी चाहिये थी, जो निर्धारित समय में पेश नहीं की गई, अपितु 18 वर्ष के विलम्ब से पेश की गई, इसलिए अपील अवधि बाधित है और प्रस्तुत करने में जानबूझकर देरी की गई है, जो क्षमा किये जाने योग्य नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा पेश अपील अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दू पर ही निरस्त फरमाई जावे। अभिभाषक रेस्पो.सं.10,11 ने बहस के दौरान आगे तर्क प्रस्तुत किये कि रेस्पो.सं.1 मनभर रघुवीर की पत्नी है तथा सूरज रघुवीर का पुत्र है। रेस्पो.सं.1 के पति रघुवीर का दिनांक 03.06.2000 देहान्त हो चुका है। अपील विषयक कृषि भूमि में रेस्पो.सं.1 के पति रघुवीर के खाते में उसकी पत्नी मनभर व पुत्र सूरज का हक अधिकार निहित है। इसलिए रघुवीर के देहान्त के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक खातेदार रघुवीर के विधिक वारिसान पत्नी मनभर एवं पुत्र सूरज के पक्ष में फौती इन्तकाल खोला गया है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नहीं की है। अपीलांट द्वारा रेस्पो.सं.1 के अपने पति रघुवीर के जीवनकाल में अन्य व्यक्ति के नाते जाने की बात कहीं है, जो सरासर गलत है। अपीलांट इसको प्रमाणित नहीं कर सके है। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में पिता का नाम मौके पर उपस्थित व्यक्तियों से पूछकर लिख दिया जाता है, जो पहचान का अधिकृत दस्तावेज नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक करने में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं की है। रेस्पो.सं.10 व 11 अपील विषयक आराजी के सदभावी केता है जो वर्ष 2015 से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय कर काबिज काश्त है। अपीलांट व रेस्पो.सं.1 द्वारा आपस में संधि करके रेस्पो.सं.10, 11 के हितों के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्राप्त अधिकारों को नामान्तरण की संक्षिप्त कार्यवाही में समाप्त नहीं किया जा सकता है। अभिभाषक रेस्पो.सं.10, 11 द्वारा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलेक्टर, बून्दी

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे ज्ञात हुआ कि ग्राम जाखमुण्ड, तहसील बून्दी के नामान्तरकरण संख्या 591 में अंकित कृषि भूमि में खातेदार रोडया आ. गेन्दया कौम बलाई निवासी जाखमुण्ड हिस्सा 1/4 दर्ज रेकार्ड था। खातेदार रोडया एवं उसके पुत्र रघुवीर के देहान्त के बाद रोडया के खाते की कृषि भूमि पर बजरंगलाल आ. रोडया, छोटीबाई बेवा रोडया, सूरज आ.रघुवीर नाबा. जर्ये संरक्षिका माता मनभर व मनभर बेवा रघुवीर के पक्ष में विरासत नामान्तरकरण संख्या 591 दिनांक 08.07.2005 तस्दीक किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलांट को अपीलाधीन नामान्तकरण दिनांक 08.07.2005 की जानकारी हल्का पटवारी से दिनांक 02.01.2024 को होना, नकल हेतु आवेदन किया जाकर नकल दिनांक 03.01.2024 को प्राप्त होने पर अपील पेश किया जाना अंकित किया है, किन्तु दिनांक 02.01.2024 से पूर्व 18 वर्ष गुजर जाने तक अपीलांट को अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी नहीं होने का कोई कारण अंकित नहीं किया। अपीलांट द्वारा पत्रावली पर उसके द्वारा पूर्व में इस न्यायालय में दायर अन्य अपील सं. 212/2016 बउनवान बजरंगलाल बनाम मनभर वगै. में पारित निर्णय दिनांक 11.06.2019 की फोटोप्रति पेश की गई है। उक्त निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि ग्राम गोविन्दपुर बावडी के नामा.सं. 269 दिनांक 18.10.2001 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा दिनांक 16.11.2016 को उक्त अपील दायर कर दी गई है, अपीलांट द्वारा 7 वर्ष पूर्व दायर उक्त अपील एवं हस्तगत अपील में वर्णित तथ्य, लगाये गये आक्षेप एवं चाहा गया अनुतोष एक जैसे है। जिससे अपीलांट को अपने पिता रोडया के विरासत के नामान्तरकरणों में मनभर बेवा रघुवीर एवं सूरज पुत्र रघुवीर का नाम दर्ज हो जाने की जानकारी प्राप्त हो चुकी थीं। इसके बावजूद अपीलांट द्वारा अपने पिता रोडया के खाते में स्थित ग्राम जाखमुण्ड की कृषि भूमि पर विरासत के नामान्तरकरण के बारे में जानकारी नहीं करने तथा अपीलांट के कब्जा काश्त की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपीलांट सहखातेदार के रूप में दर्ज होने के बावजूद भी अपने खाते की जानकारी नहीं करने का कोई कारण अंकित नहीं किया गया। यदि वर्षो तक जानकारी नहीं हुयी तो किस कारण से नहीं हुयी, अपीलांट द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया।

चूंकि अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 08.07.2005 को अपीलांट के पिता रोडया के देहान्त के बाद विरासत के आधार पर उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है, ऐसे में अपीलांट पुत्र को उसके पिता की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि के राजस्व रेकार्ड की 18 सालों तक कोई जानकारी

जिला कलेक्टर, बून्दी

नहीं रही हो, यह विश्वसनीय नहीं है, जबकि किसानों को लगान अदायगी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ, फसल खराबा का मुआवजा इत्यादि खातेदारी रिकार्ड के अनुसार ही प्राप्त होता है। इस कारण अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की पहले से ही जानकारी होने की धारणा की जाती है। अपील अन्दर मियाद स्वीकार किए जाने हेतु काननून विलम्ब का दिन प्रतिदिन का स्पष्टीकरण दिया जाना अपरिहार्य है। जैसा कि आर.आर.डी. 14.09.2019 पृष्ठ 549 में प्रतिपादित है कि An unlimited limitation would lead to a sense of insecurity and uncertainty and therefore, limitation, prevents disturbance or deprivation of what may have been acquired in equity and justice by long enjoyment or what may have been lost by a party`s own inaction, negligence or laches. इसी प्रकार आर.आर.टी. 2017(1) पृष्ठ 117 में भी प्रतिपादित किया गया है कि Liberal approcah cannot be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory & otiose- No sufficient cause to explain the delay- Held, Application & appeal are liable to be dismissed. इस प्रकार अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुये विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है, ऐसे में हस्तगत अपील में मियाद कन्डोन करने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है। अतः अपील अपीलांट अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सहखातेदार अपीलांट द्वारा अपीलाधीन विरासत नामान्तरकरण के विरूद्ध हस्तगत अपील काफी विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जिसमें गंभीर विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण अपीलांट प्रस्तुत करने में पूर्णतः असफल रहा हैं। ऐसे में अत्यधिक विलम्ब को कन्डोन किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम अस्वीकार किया जाता है। फलस्वरूप अपील के गुणावगुणों पर बिना कोई टिप्पणी किये अपील अपीलांट मियाद बाहर पेश होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर करवाई जावे ।

आदेश आज दिनांक 15.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी